फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़

बचनसिंह आदि बनाम जगदीश व अन्य

किस्म मुकदमा:– 188·209 आरटीए प्रकरण संख्या:– 171 /2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.9.18	आज यह पत्रावली वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये पंजीकृत एवं साधारण समन तलब किया जावे ताकि दावा में तलवी हेतु अधिक समय व्यतीत नहीं हो। पत्रावली तलवी होकर दिनांक......2.11.18......को पेश हो। [illegible]	
02/11/18	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी/ वकील उभय पक्ष। हाजिर SDO सा० ~~दौरे पर/अवकाशपर~~/ अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक .....17/01/19..को पेश हो। [illegible]	
17.1.19	वकील वादी उप.। प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री रजनीकांत Adv ने वकालतनामा पेश किया शामिल रहे। पत्रावली वास्ते जवाब दावा प्रति. नं. 1 व 2 की तलवी होकर दिनांक 28.3.19 को पेश हो। [illegible]	
28.3.19	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी/ वकील उभय पक्ष हाजिर SDO सा० ~~दौरे पर/अवकाशपर~~/ चुनाव अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक .....18.6.19.....को पेश हो। [illegible]	
14/06/19	आज यह पत्रावली प्रार्थीगण स्वयं द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थीगण ने निवेदन किया की वाद में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु प्रार्थीगण (वादीगण) भूमि की नपाई करवाना चाहते हैं ताकि सही स्थिति का ज्ञान हो सके इसलिये वर्तमान में वाद आगे नही चलाना चाहते हैं वाद प्रत्याहृत (विड्रा) करना चाहते हैं। अतः आज ही पेशी में लिया जाकर वाद विड्रा किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया व प्रार्थीगण के कथनों का मनन किया। प्रार्थीगण स्वयं वाद आगे नही चलाना चाहते है, विड्रा करना चाहते है। प्रार्थीगण की शिनाख्त वकील श्री भगवानदत्त शर्मा द्वारा की गई। अतः वाद वादीगण इसी स्तर पर विड्रा किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। [illegible] उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	(2) [illegible] सिंह (1) बचनसिंह [illegible] [illegible]

Scanned by CamScanner